

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और समावेशी विकास

। eh{k d
रुद्र दत्त

Mk- ep d thz Lefr U; kl

प्रकाशक की ओर से

भारत सरकार ने हाल ही में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान की है। पंचवर्षीय योजना वह दस्तावेज है जो यह दर्शाता है कि आगामी वर्षों में देश की आर्थिक विकास की गति साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा क्या होगी?

भारत के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री श्री रुद्र दत्त ने इस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं का परिस्थितिजन्य तुलनात्मक अध्ययन कर तथ्यपरक टिप्पणियां की है। उनके अनुसार इस योजना के तहत देश का अधिक तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु पूरी योजना श्रम-प्रधान न होकर पूंजी-प्रधान है। विशेषकर यह योजना आम आदमी के लिए सुरक्षित आय एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्रतिकूल है वही कृषि क्षेत्र में यह योजना छोटे किसानों की खेती से कन्नी काटते हुए ठेका खेती की वकालत करती है। इस तरह से समीक्षक ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा करते हुए कई खामियों की भी चर्चा इस पुस्तिका में की है।

हम इस पुस्तिका का प्रकाशन इस आशा से कर रहे हैं कि पाठको को इस पुस्तिका के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को समझने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

çdk' kd
Mk- ep d thz Lefr U; kl

मार्च 2008

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और समावेशी विकास

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने दिसम्बर 2006 में ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देश पत्र को जिसका शीर्षक 'Towards faster and more inclusive growth' था स्वीकृति दे दी और योजना आयोग को निर्देश दिया कि वह विस्तृत योजना तैयार करे जिससे दिशानिर्देश पत्र के मोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान लगाया जा सके। ग्यारहवीं योजना (2007-12) के विस्तृत विवरण को राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर 2007 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

1- X; kjgoha i po"khZ ; kstuk dh i wD e; k ij
vkffkd ifjn";

अपनी दृष्टि की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए ग्यारहवीं योजना ने यह बात नोट की कि "(2002-03 से 2006-07) दसवीं योजना की अवधि में अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी जो किसी भी योजना अवधि में सबसे अधिक थी।" इसने इस बात पर बल दिया कि दसवीं योजना के अन्तिम चार वर्षों में, जी.डी.पी. की औसत वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत थी जिसके कारण भारत की गणना विश्व की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में की जाने लगी हैं। बचत और निवेश के अनुपात में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का सामना बखूबी कर सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।

परन्तु "अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरी यह है कि इस विकास को कई समूहों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों द्वारा पर्याप्त रूप में

सर्वसमावेशी नहीं माना जाता। समावेशिता का अभाव निष्पादन के बहुत से आयामों सम्बन्धी आंकड़ों से फट्ट होता है।”

1- “औपचारिक गरीबी रेखा (Official poverty line) के नीचे जनसंख्या का अनुपात जो 1993-94 में 36% था कम होकर 2004-05 में 28% हो गया। किन्तु न केवल यह ऊंचा है बल्कि जी.डी.पी. की वृद्धि दर में उन्नति के बावजूद गरीबी में कमी की गति अवत्वरित हुई है और कुछ सीमान्त समूहों अर्थात् जनजातियों में गरीबी में कोई गिरावट नहीं हुई। चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए गरीबों की कुल संख्या जो 1993-94 में 32.0 करोड़ थी थोड़ी सी कम होकर 2004-05 में 30.2 करोड़ हो गयी है। ; g fu"i knu vkj Hkh fujk' kki wklyxrk gS tc bl ckr dks nf"V eaj [kk tk, fd xjhch js[kk ftl ij xjhckadk vupku vkekkfjr gSogh gS tks 1973&74 eaFkh tc ifr0; fDr vk; dggha de FkhA

2- विपन्नता के सूचकों (Indicators of deprivation) से यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या का अनुपात जो न्यूनतम जीवन-स्तर की सुविधाओं से वंचित है, और भी ऊंचा है। इसका संकेत निम्नलिखित से प्राप्त होता है :

d- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के अनुसार 0-3 आयुवर्ग के 46% बच्चे 2005-06 में कुपोषण (Malnutrition) से ग्रस्त थे। परन्तु इससे भी अधिक अशोभनीय बात यह है कि 1998 के 47 प्रतिशत के रिपोर्ट किए स्तर में कोई कमी नहीं हुई।

[k-मानव विकास सूचक (Human development indicators) जैसे साक्षरता, मातृ एवं शिशु मृत्युदर भी यह दर्शाते हैं कि प्रगति धीमी है और भारत एशिया के बहुत से देशों से पीछे है। जबकि 2001 तक साक्षरता (Literacy) की दर बढ़कर 64.8% हो गयी, फिर भी भारत में 30.4 करोड़ व्यक्ति अनपढ़ थे जिसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा अनपढ़ों का देश है। 2001-06 के दौरान जीवन-प्रत्याशा (Life expectancy) फरुषों के लिए 63.9 वर्ष थी और स्त्रियों के लिए 66.9 वर्ष, जो चीन के 72 वर्ष से अभी भी कम है। लैंगिक अनुपात (Sex ratio) प्रति 1,000 फरुषों के लिए 933 स्त्रियां चिन्ता का एक और विषय है। इससे भी अधिक शोचनीय बात यह है कि

0-6 आयु वर्ग के बच्चों का लैंगिक अनुपात जो 1981 में 962 था तेजी से गिरकर 2001 में 927 हो गया। शिशु मृत्यु दरें भी पूर्व एशिया के देशों की तुलना में नीची हैं।

3- कृषि विकास भी मन्द ही रहा है और दसवीं योजना के दौरान यह 2.1% था बावजूद इसके कि इसका लक्ष्य 4% तय किया गया था।
4- चालू दैनिक स्थिति बेरोज़गारी (Current daily status unemployment) की दर जो 1999-00 में 7.3 प्रतिशत थी, बढ़कर 2004-05 में 8.3 प्रतिशत हो गयी, बावजूद इसके कि दसवीं योजना के दौरान जी.डी.पी. की वृद्धिदर औसतन 7.6% के उच्च स्तर पर थी। इसके अतिरिक्त रोज़गार में समस्त वृद्धि असंगठित क्षेत्र में हुई, चाहे संगठित क्षेत्र की फर्में अनौपचारिक रोज़गार (Informal employment) को बढ़ाती जा रही हैं।” इससे रोज़गार की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत प्राप्त होता है।

2- X; kj goha ; kst uk ds mÍs ; (Objective of the Eleventh Plan)

योजना में जी.डी.पी. (सकल देशीय उत्पाद) को समग्र देश के लिए 9% के उच्च स्तर तक ले जाने की परिकल्पना है। इस का अर्थ यह है कि प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी. में 7.6% की वार्षिक वृद्धि होगी और यह 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा।

किन्तु योजना प्रलेख में साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि “लक्ष्य केवल तीव्र विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास (Inclusive growth) भी है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की विस्तृत रूप में दशा में सुधार को सुनिश्चित करता है।”

X; kj goha ; kst uk dh nf"V

ग्यारहवीं योजना की विस्तृत दृष्टि में बहुत से परस्पर सम्बन्धित घटक शामिल हैं —

- (1) तीव्र विकास जो गरीबी को कम करता है और रोज़गार के अवसर कायम करता है,
- (2) स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाता है,

- विशेषकर गरीब वर्गों की,
- (3) शिक्षा और कौशल के विकास द्वारा सशक्तिकरण (Empowerment),
 - (4) राष्ट्रीय ग्राम रोज़गार गारंटी प्रोग्राम के प्रयोग से रोज़गार का विस्तार करता है,
 - (5) पर्यावरण के टिकाऊपन को बढ़ावा देता है,
 - (6) लैंगिक असमानता (Gender inequality) को कम करता है, और
 - (7) प्रशासन में सुधार करता है।

mí's ; ka dks i klr djus dk y{;

(i) vk; vkj xjhch

1. जी.डी.पी. की औसत वार्षिक वृद्धि 9% करना
2. कृषि-जी.डी.पी. की 4% प्रतिवर्ष वृद्धि
3. 5.8 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार अवसर कायम करना
4. शिक्षितों में बेरोज़गारी को 5% से कम करना
5. अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी में 20% की वृद्धि प्राप्त करना
6. व्यक्ति गणना गरीबी अनुपात (Headcount poverty ratio) में 10 प्रतिशत अंकों की कमी लाना।

(ii) f' k{kk

1. बच्चों में स्कूल छोड़ने वालों (Dropouts) की दर को प्राथमिक स्तर पर 2003-04 में 52.2% से 2011-12 में 20% करना
2. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में न्यूनतम मानदण्ड विकसित करना
3. 0-7 या अधिक आयु वाले व्यक्तियों में साक्षरता दर बढ़ा कर 2011-12 में 85 प्रतिशत तक ले जाना
4. साक्षरता में लैंगिक अन्तर (Gender gap) को 2011-12 तक 10 प्रतिशत अंकों से कम करना
5. उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले व्यक्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011-12 तक 15 प्रतिशत करना।

(iii) LokLF;

1. शिशु मृत्युदर (Infant mortality) को कम करके 28 पर लाना और मातृ मृत्युदर (Maternal mortality rate) को 2011-12 तक 1 प्रति 1000 करना
2. सकल प्रजनन दर (Total fertility rate) को 2011-12 तक कम

- करके 2.1 तक लाना
3. सभी को स्वच्छ पेयजल 2009 तक उपलब्ध कराना
 4. 0-3 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को वर्तमान स्तर से आधे पर लाना
 5. स्त्रियों एवं लड़कियों में रक्तक्षीणता (Anaemia) को वर्तमान स्तर से आधे पर लाना।

(iv) fL= ; ka , oa cPps

1. 0-6 के आयुवर्ग में लैंगिक अनुपात को 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तक और 2016-17 तक और बढ़ाकर 950 तक ले जाना
2. यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी परियोजनाओं के लाभप्राप्तकर्ताओं में कम-से-कम 33% स्त्रियां एवं बच्चे हों
3. सभी बच्चों में सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना जिसमें रोज़गार के लिए काम करने के लिए कोई भी बच्चा बाध्य न हो।

(v) vkèkkj l j puk (Infrastructure)

1. सभी गांवों और गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 2009 तक बिजली उपलब्ध करना और 11वीं योजना के अन्त तक सभी को विश्वसनीय पावर मुहैया करना
2. 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी निवास-स्थानों (पहाड़ी इलाकों में 500 से अधिक) को सभी-मौसमी सड़कों से 2009 तक जोड़ना।
3. प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ना और 2012 तक सभी गांवों को ब्राडबैंड का जुड़ाव मुहैया कराना
4. 2012 तक सभी को आवास की जगहें मुहैया कराना और 2016-17 तक सभी गरीबों के लिए मकान उपलब्ध कराना।

(vi) i ; kDkj .k (Environment)

1. वनों तथा वृक्षों के आधीन क्षेत्र को 5 प्रतिशत बढ़ाना
2. सभी मुख्य नगरों में 2011-12 तक हवा की गुणवत्ता (Air quality) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड प्राप्त करना
3. नदियों के जल को साफ़ करने के लिए 2011-12 तक सभी शहरी गन्दे पानी का उपचार करना
4. ऊर्जा-कुशलता में 20 प्रतिशत उन्नति लाना।

3- X; kjgoha ; kst uk ds l ef"V&vkfFkd vk; ke (Macro-economic dimensions of the Eleventh Plan)

ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय (केन्द्र एवं राज्यों दोनों को जोड़कर) का 36,44,718 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसमें केन्द्र का भाग 21,56,571 करोड़ रुपये (59.2%) और राज्यों का भाग 14,88,147 करोड़ रुपये होगा (40.8%)। 10वीं योजना के परिव्यय की तुलना में, ग्यारहवीं योजना का प्रस्तावित परिव्यय 125 प्रतिशत अधिक होगा। जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में, ग्यारहवीं योजना की औसत 13.54% होगी जबकि इसकी तुलना में 10वीं योजना में यह 9.46% थी।

th-Mh-i-h- vks ifr0; fDr th-Mh-i-h- dsy{; & 11वीं योजना में 2007-12 की योजना अवधि के लिए जी.डी.पी. की औसत 9% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिसका अभिप्राय 2007-08 में 8.5% की वृद्धिदर को बढ़ाकर 2011-12 में 10% करना है। प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी. (Per Capita GDP) की वृद्धि 7.6% होगी और इस प्रकार यह 10 वर्ष में दुगुनी हो जाएगा।

{ks=h; of) & njj (Sectoral growth rates) & ग्यारहवीं योजना कृषि की वृद्धि दर को दसवीं योजना में प्राप्त 2.13% की वृद्धिदर से बढ़ाकर 4% तक ले जाना चाहती है। उद्योग की वृद्धिदर का लक्ष्य बढ़ाकर 10-11% और सेवा क्षेत्र का लक्ष्य 9-11% रखा गया है। ग्यारहवीं योजना उद्योग एवं सेवाओं दोनों में द्वि-अंकीय वृद्धिदर प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए आन्तरिक क्षेत्र (Core sector) (इस्पात, सीमेंट, तेल, उर्वरक और परिष्कृत पेट्रोलियम) की वृद्धिदर उन्नत करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ताकि उच्च वृद्धि दर को कायम रखा जा सके।

rkydk 1% l ef"V&vkfFkd iæki (Parameters) nl oha ; kst uk X; kjgoha ; kst uk

th-Mh-i-h- dk ifr'kr		
1. निवेश	32.1	36.7
2. देशीय बचत	30.8	34.8
4. चालू खाते का घाटा	1.28	1.88
वर्धमान पूंजी-उत्पाद अनुपात	4.3	4.1
जी.डी.पी. की वृद्धिदर	7.5	9.0

नोट : ये आंकड़े 2006-07 की कीमतों पर हैं।

स्रोत : योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

सेवा क्षेत्र की वृद्धिदर नौवीं और दसवीं योजना के दौरान प्रभावी रूप में उन्नत हुई। इससे भी अधिक 9-11% की वृद्धिदर प्राप्त करनके लिए सूचना-तकनालाजी (Information Technology - IT) सम्बन्धित सेवाओं और पर्यटन इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में प्रत्याशित विस्तार से अध्यापकों, डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा सम्बन्धी व्यक्तियों को अतिरिक्त नौकरियाँ प्राप्त होंगी।

rkydk 2% ; kst ukvka ea of) nj

	प्रतिशत प्रतिवर्ष			
	Ñf"k	m ks	l ok, j	dy
नौवीं योजना (1977-2002)	2.44	4.29	7.87	5.52
दसवीं योजना (2002-2007)	2.13	8.90	9.28	7.59
ग्यारहवीं योजना (2007-12)	4.0	10-11	9-11	9.0

स्रोत : वही जो तालिका 1 के लिए

l kołtfud vks futh {ks= ea fuosk

ग्यारहवीं योजना में निजी क्षेत्र निवेश के 28.7% तक और सार्वजनिक क्षेत्र में 8% तक हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार कुल निवेश 36.7% हो जाएगा।

rkydk 3 % dy l kołtfud , oa futh {ks= ea fuosk

	जी.डी.पी. का प्रतिशत		
	l kołtfud {ks=	futh {ks=	dy
नौवीं योजना	7.0	17.3	24.3
दसवीं योजना*	6.7	24.1	30.8
ग्यारहवीं योजना	8.0	28.7	36.7

नोट : दसवीं योजना के आंकड़े चार वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2005-06 के लिए हैं।

स्रोत : वही जो तालिका 1 के लिए।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि निजी क्षेत्र का निवेश जो दसवीं योजना में 24.1% था बढ़ कर ग्यारहवीं योजना में 28.7% हो जाने का अनुमान है। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश जो 10वीं योजना में

6.7% था थोड़ा बढ़ कर 8.0% होने का अनुमान है। ग्यारहवीं योजना ने उल्लेख किया : "कुल निवेश में निजी क्षेत्र निवेश (Private sector investment) की तीव्र वृद्धि बहुत हद तक 1990 के दशक में चालू किए गए सुधारों को प्रतिबिम्बित करती है जिसने निजी निवेश पर लगे हुए सीमाबन्धनों को कम किया और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण कायम किया।" इसके नतीजे के तौर पर निजी क्षेत्र के निवेश का भाग जो नौवीं योजना में 71% था उन्नत होकर ग्यारहवीं योजना में 77% हो गया। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का भाग जो नौवीं योजना में 29% था गिरकर 23% हो गया।

वर्क; ओएक एंडी एप्र

तालिका 4 से पता चलता है कि परिवार बचत (Household saving) जो नौवीं योजना में जी.डी.पी. का 20.3% थी, बढ़कर दसवीं योजना में 22.6% हो गयी और 11वीं योजना में इसके बढ़कर 22.8% हो जाने का अनुमान है। निगम बचत (Corporate saving) ने और अधिक वृद्धि दिखाई है और यह नौवीं योजना में 4.1% से बढ़ कर दसवीं योजना के दौरान 6.0% हो गयी और ग्यारहवीं योजना में 8.5% हो जाने की संभावना है।

रकफेडक 4 % दिय एप्र धी ल जपुक

जी.डी.पी. का प्रतिशत

	उकभा	नलोहा	X; कजगोहा
	; कस्टुक	; कस्टुक	; कस्टुक
1. परिवार क्षेत्र	20.3	22.6	22.8
2. निगम क्षेत्र	4.1	6.0	8.5
3. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	-0.8	1.2	4.5
क. सरकारी प्रशासन	-4.1	-2.9	0.5
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	3.3	4.1	4.0
दिय (\$2\$3)	23-6	29-9	34-8

स्रोत: वही जो तालिका 1 के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र की बचत के दो भाग हैं – सरकारी प्रशासन (Government Administration) की बचत और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बचत। नौवीं योजना के दौरान विभागीय बचत (Departmental saving) के निष्पादन में भारी गिरावट हुई और यह 4.1% तक नकारात्मक हो गयी। इसका कारण पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप सरकारी

वेतनों में भारी वृद्धि थी। विभागीय बचत सीमान्त रूप में उन्नत होकर दसवीं योजना में (-)2.9% हो गयी। हाल ही के वर्षों में, राजकोषीय दायित्व बजट प्रबन्ध कानून (Fiscal Responsibility Budget Management Act) के लागू करने के परिणामस्वरूप, राजकोषीय एवं राजस्व घाटों (Fiscal and Revenue Deficits) में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना के दौरान कर-राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके कारण हैं – मर्यादित और नीची कर-दरें और कर-प्रशासन में सुधार। ग्यारहवीं योजना में परिस्थिति और उन्नत होने की संभावना है और सरकारी प्रशासन की बचत सकारात्मक हो कर जी.डी.पी. का 0.5% हो जाने का अनुमान है यदि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें इस पर भारी प्रभाव न डाल दें।

सरकारी प्रशासन के विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) की बचत में उन्नति हो रही है और इसके ग्यारहवीं योजना में जी.डी.पी. का 4 प्रतिशत हो जाने की संभावना है जबकि इसके विरुद्ध यह नौवीं योजना में 3.3 प्रतिशत थी। यह परिस्थिति उत्साहवर्धक है।

अर्थव्यवस्था की कुल बचत जो नौवीं योजना के दौरान 23.6% थी, बढ़ कर दसवीं योजना के दौरान 29.9% हो गयी और 11वीं योजना के अनुमानों के अनुसार यह 34.8% के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। ग्यारहवीं योजना का अनुमान निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकारी वेतन पर मर्यादित प्रभाव पड़ता है।
- सरकार अपने अर्थसाहायों (Subsidies) को मर्यादित कर देती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बचत दसवीं योजना के दौरान प्राप्त स्तर पर बनी रहती है या यह अपने निष्पादन को और उन्नत कर लेती है।
- सरकारी नीति द्वारा तेल की कीमतों पर अर्थसाहायों को नियंत्रित कर लिया जाता है और ये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बचत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।

हकएरकु 'क'क (Balance of payments)

दसवीं योजना के दौरान, वस्तु-निर्यात (Merchandise exports) में 23.2% की औसत वार्षिक वृद्धिदर का संकेत प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वस्तु आयात में 27.8% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण शुद्ध तेल आयात

में 26.5% की वृद्धि हुई। सेवाओं के निर्यात में वस्तुतः महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके नतीजे के तौर पर अदृश्य मदों (Invisibles) में सकारात्मक अतिरेक उत्पन्न हो गया जिसने व्यापार-घाटे के काफी बड़े भाग की भरपायी कर दी। 2006 में चालू खाते का घाटा 9.6 अरब डालर था अर्थात् जी.डी.पी. का 1.1 प्रतिशत।

ग्यारहवीं योजना के दौरान यू.एस. डालरों के रूप में निर्यात में लगभग 20% प्रतिवर्ष वृद्धि का अनुमान है और जी.डी.पी. में निर्यात का भाग जो 2006-07 में 13.9% था बढ़कर 2011-12 में 22.5% हो जाएगा। 11वीं योजना के दौरान आयात में 23% की औसत वार्षिक वृद्धि की संभावना है। परिणामतः जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आयात जो 2006-07 में 21% थे बढ़ कर 2011-12 में 38.5% हो जाएंगे।

ग्यारहवीं योजना में उल्लेख किया गया है: "व्यापार-शेष के जी.डी.पी. के 16% होने की प्रत्याशा है। शुद्ध मदों पर अतिरेक 2011-12 तक बढ़ कर जी.डी.पी. का 13.5% हो जाने की संभावना है और परिणामतः चालू खाते का घाटा जो 2006-07 में जी.डी.पी. का 1.1 प्रतिशत था के बढ़ कर 2011-12 में 1.9% से 2.4% के बीच रहने की संभावना है। ये परिकलन इस मान्यता पर आधारित है कि तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें 80 डालर प्रति बैरल के इर्द-गिर्द रहती हैं।" इस सीमा तक घाटे का वित्त-प्रबन्ध करने में कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है यदि विदेशी पूंजी अन्तर्प्रवाह (Capital Inflows) वर्तमान की भांति बने रहते हैं और जिनके बने रहने की प्रत्याशा है जब तक विश्व अर्थव्यवस्था में लम्बे समय तक गिरावट का झटका न लगे।"

rkfydk 5 % Hkqrku&'k'k ds 11oha ; kstuk ds i fki . k

	2006&07		2011&12		2007&12	
	vjc Mkyj	th-Mh-ih dk i fr'kr	vjc Mkyj	th-Mh-ih dk %	vjc Mkyj	p0of nj
1. निर्यात	127.1	13.9	316.2	22.5	1,135	20.0
2. आयात	192.0	21.0	540.5	38.5	1,864	23.0
3. व्यापार-शेष (1-2)	-64.9	-7.1	-224.3	-16.0	-729	
4. शुद्ध अदृश्य मदें	55.3	6.1	190.0	13.5	616	28.0
5. चालू खाते का घाटा (3+4)	-9.6	1.1	-34.3	-2.4	-113	-1.9*
6. शुद्ध पूंजी अन्तर्प्रवाह	44.9	4.9	51.9	3.7	206.8	2.9

*जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में
स्रोत: वही जो तालिका 1 में

ग्यारहवीं योजना के भुगतान-शेष के अनुमानों का गहरायी से परीक्षण करने से पता चलता है कि योजना आयोग ने चालू खाते के घाटे का 2007-12 की अवधि के लिए जानबूझ कर अल्पानुमान कर इसे 81.4 अरब डालर दर्शाया है जबकि इसके अपने आंकड़े चालू खाते के घाटे के 113 अरब डालर का संकेत देते हैं। यदि यह बात स्वीकार कर ली जाती है, तो चालू खाते का घाटा औसतन जी.डी.पी. का 2.3% होगा, न कि 1.9% जो योजना प्रलेख में संकेत दिया गया है।

चाहे इस बात की सख्त आवश्यकता है कि आयात वृद्धिदर को कम किया जाए ताकि सकारात्मक व्यापार-शेष प्राप्त किया जा सके, सरकार आयात के बारे में खुले द्वार की नीति अपनाए हुए है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरे, रुपये की मूल्य-वृद्धि (Appreciation of the Rupee) के साथ, निर्यात में सुस्ती की स्थिति और आयात को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार-घाटा और बढ़ा हो सकता है। यह भी संभव है कि अदृश्य मदों के अतिरेक में सूचना तकनालाजी क्षेत्र में अन्य प्रतियोगियों, विशेषकर चीन के आने से, गिरावट आ जाए। यह अदृश्य मदों के अतिरेक के आकार में गिरावट ला सकता है जिससे व्यापार घाटा निष्क्रिय बनाया जाता है। इससे चालू खाते के घाटे का आकार बढ़ सकता है। समझदारी इसी में है कि आयोजक अधिक सावधानी का मार्ग अपनाएँ।

4- X; kjgoha ; kstuk dk foùk&ççak (Financing the Eleventh Plan)

तालिका 10 में दसवीं योजना की प्राप्तियों और ग्यारहवीं योजना के वित्त-प्रबन्ध सम्बन्धी अनुमान दिए गए हैं। 10वीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों के लिए 16,53,865 करोड़ रुपये (73.9 प्रतिशत) बाज़ार उधार (Market borrowing) से प्राप्त किए गए और 34.9% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का योगदान था। किन्तु चालू राजस्व से अधिशेष (Balance from current revenues) (केन्द्र एवं राज्यों द्वारा) कुल योजना संसाधनों के 9.6 प्रतिशत तक नकारात्मक था।

दसवीं योजना की इस तस्वीर के विरुद्ध, ग्यारहवीं योजना चालू राजस्व में अतिरेक से 10,39,039 करोड़ रुपये कुल योजना संसाधनों का 28.5% प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। योजना आयोग ने उल्लेख किया है: "यह

परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचे द्वारा कड़े राजकोषीय अनुशासन का परिणाम है, जो कि केन्द्र एवं राज्यों पर लागू किया गया। यह आशावादी दृष्टि दसवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) में भारी वृद्धि अर्थव्यवस्था के मजबूत निष्पादन को प्रतिबिम्बित करती है।”

आयोजक इस तथ्य के बारे में सजग हैं कि यह आशावाद वस्तुतः प्राप्त न भी किया जा सके क्योंकि छोटे वेतन आयोग के सिफारिशों के प्रभाव के बारे में अनश्चितता। इसके समान ही अर्थसाहायों (Subsidies) को और बढ़ाने के बारे में दबाव है, विशेषकर उर्वरकों एवं पेट्रोलियम के अर्थसाहायों के बारे में। पेट्रोलियम की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि पहले ही 80 डालर प्रति बैरल की सीमा पार हो जाने के बाद पेट्रोलियम पर अर्थसाहायों में भी वृद्धि हुई है। अर्थसाहायों के सुधार की फौरी आवश्यकता है परन्तु केन्द्र सरकार इन्हें नियंत्रित करने के लिए उत्साह नहीं दिखा रही है, उसे ऐसा लगता है कि इसके कारण उसे आगामी 2009 में होने वाले आम चुनाव में झटका लग सकता है। इससे योजना आयोग के आशावादी परिकल्पनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो आयोजकों को मजबूर कर देगा कि या तो वे योजना का आकार काट कर छोटा कर दें या बाज़ार उधार का अधिक प्रयोग करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरिक्त लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इनसे योजना के 32.6% या लगभग योजना का एक तिहाई वित्त जुटाया जाता है। परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों पर दिए जाने वाले अर्थसाहायों से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के अतिरिक्त कम हो सकते हैं जोकि संसाधन-जनन का मुख्य स्रोत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से वास्तविक प्राप्ति पर दो कारणतत्त्वों का प्रभाव पड़ेगा – (क) तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का और (ख) केन्द्र सरकार की पेट्रोलियम अर्थसाहायों के बारे में नीति का। यदि ग्यारहवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्ति में गिरावट आती है, तो देश को योजना के वित्त-प्रबन्ध के लिए और अधिक बाजार उधार का प्रयोग करना पड़ेगा।

रफ्यदक 6% X; kjgoha ; kst uk }kjk l a k/kuak dk i fksi .k

en	nl oha ; kst uk dh i kflr ; kj			X; kjgoha ; kst uk ds i fksi .k		
	dflnz	jkt;	dly	dflnz	jkt;	dly
वालू राजस्व से शेष	-1,27,166 (-13.5)	-31,723 (-4.5)	-1,58,888 (-9.6)	6,53,989 (30.3)	3,85,050 (25.9)	10,39,039 (28.5)
उधार जिसमें विविध ंजी प्राप्तियाँ शामिल हैं	8,50,382 (89.9)	3,71,779 (52.5)	12,22,161 (73.7)	7,67,722 (35.6)	6,49,423 (43.6)	14,17,145 (38.9)
विदेश से अन्तर्प्रवाह	16,121 (1.7)	--	16,121 (1.0)	--	--	--
कुल बजटीय समर्थन (1+2+3)	7,39,337 (78.2)	3,40,057 (48.0)	10,79,394 (65.3)	14,21,711 (65.9)	10,34,473 (69.5)	24,56,184 (67.4)
केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता	-2,52,539 (26.7)	2,48,677 (35.2)	-3,862 (-0.2)	-3,24,851 (15.1)	324,851 (21.8)	--
शुद्ध बजटीय समर्थन (4+5)	4,86,798 (51.5)	5,88,734 (83.2)	10,75,532 (65.1)	10,96,860 (50.8)	13,59,324 (91.3)	24,56,184 (67.4)
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन	4,58,530 (48.5)	1,19,003 (16.8)	5,77,533 (34.9)	10,59,710 (49.2)	1,28,824 (8.7)	11,88,534 (32.6)
सार्वजनिक क्षेत्र के कुल संसाधन (6+7)	9,45,328 (100.0)	7,07,737 (100.0)	16,53,065 (100.0)	21,56,571 (100.0)	14,88,147 (100.0)	36,44,718 (100.0)

नोट : ब्रेकिट में दिए गए आंकड़े केन्द्र, राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र योजना के सापेक्ष भाग को दर्शाते हैं।

स्रोत : X; kjgoha ipo "khi ; kst uk (2007), खण्ड 1 से संकलित एवं परिकल्पित

अतः योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं योजना के वित्त प्रबन्ध की प्रस्तुत उज्ज्वल तस्वीर प्रकट करना कठिन होगा। ऐसी ही आशावादी दृष्टि दसवीं योजना के निर्माण के समय प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु इसका वित्तीय ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया। मिली जुली सरकार की समस्याओं के कारण साहसपूर्ण नीतियों के अभाव में, ग्यारहवीं योजना में वास्तविक प्रवृत्तियां ग्यारहवीं योजना द्वारा विभिन्न घटकों के अनुमानों से तीव्र रूप में भिन्न हो सकती हैं।

5- I d kékuka dk {ks-h; vkca/u (Sectoral Allocation of Resources)

तालिका 7 में दसवीं और ग्यारहवीं योजना में क्षेत्रीय आबंटन की तुलना की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है जहां दसवीं योजना में कुल संसाधनों की प्राप्ति 16,18,840 करोड़ रुपये थी, वहां ग्यारहवीं योजना में कुल परिव्यय के रूप में 36,44,718 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इस दृष्टि से ग्यारहवीं योजना अधिक साहसी एवं महत्वाकांक्षी है। अतः यह स्वाभाविक है कि सभी क्षेत्रों में कुल रूप में अधिक कुल संसाधन परिव्यय किए जाएंगे।

परन्तु यह अधिक वांछनीय होगा कि यह देखा जाए कि क्या आबंटन का ढांचा दसवीं योजना के ढांचे में भारी परिवर्तन करता है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत तालिका 7 में दिया गया है। दसवीं और ग्यारहवीं योजना के तुलनीय आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि एवं सिंचाई का भाग जो दसवीं योजना में 20.2% था, ग्यारहवीं योजना में कम करके 18.5% कर दिया गया है। आबंटन के ढांचे में मुख्य ऊपर की ओर परिवर्तन सामाजिक सेवाओं में पाया जाता है जिनका भाग 10वीं योजना के 27% से बढ़ा कर 11वीं योजना में 30.3% कर दिया गया है। संचार (Communication) के आबंटन के अनुपात में भारी कमी की गयी है — 10वीं योजना के 5.1% से 11वीं योजना में 2.6% अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत की कटौती। चूंकि निजी क्षेत्र संचार के विकास में लगातार मजबूत होता जा रहा है, यह कटौती न्यायोचित ही प्रतीत होती है। चूंकि 11वीं योजना मानवीय विकास को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देना चाहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आबंटनों में अनिवार्य वृद्धि करनी स्वाभाविक ही थी। यह समावेशी विकास की नीति के अनुरूप ही है।

rkfydk 7% 10oha vkj 11oha ; kst uk ds {ks-h; vkca/u

	nl oha ; kst uk dh i kflr; kj (2002&07)		X; kj goha ; kst uk ds i kxi u (2007&12)	
	djkm+ #-	%	djkm+ #-	%
1. कृषि तथा सम्बद्ध कियारें	60,702	3.8	1,36,381	3.7
2. ग्राम विकास	1,37,710	8.5	3,01,069	8.3
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	16,423	1.0	26,329	0.7
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,12,415	6.9	2,10,326	5.3
dy Nf"k (1 l s 4)	3,27,250	20.2	6,74,105	18.5
5. ऊर्जा	3,63,635	22.4	8,54,123	23.4
6. उद्योग एवं खनिज	64,655	4.0	1,53,600	4.2
7. परिवहन	2,63,934	16.3	5,72,443	15.7
8. संचार	82,945	5.1	95,380	2.6
9. विज्ञान, तकनालाजी एवं पर्यावरण	28,673	1.8	87,933	2.4
10. सामान्य आर्थिक सेवाएँ	30,349	1.9	62,523	1.7
11. सामाजिक सेवाएँ *	4,36,529	27.0	11,02,327	30.3
12. सामान्य सेवाएँ	20,489	1.3	42,283	1.2
dy	16,18,460	100.00	36,44,718	100.0

* सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल-आपूर्ति और सफाई, गृह-निर्माण एवं शहरी विकास आदि शामिल हैं।

स्रोत: योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) से संकलित एवं परिकलित

ऊर्जा विकास पर एक सीमाबन्धन है और इसलिए ग्यारहवीं योजना में इस पर 23.4% का परिव्यय अत्यन्त न्यायेचित ही है।

11वीं योजना के संसाधन ढांचे का सबसे निराशाजनक पहलू कृषि के लिए संसाधनों के आबंटन में कम प्राथमिकता देना है। कृषि क्षेत्र के भीतर, सिंचाई पर परिव्यय को जो 10वीं योजना में 6.9% था, कम करके 11वीं योजना में 5.8% करना आपत्तिजनक है, क्योंकि अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सिंचाई का विस्तार कृषि में 4% वृद्धि प्राप्त करने के लिए मूल

अनिवार्यतः है।

11वीं योजना सामाजिक क्षेत्र पर 11,02,327 करोड़ रुपये अर्थात् कुल योजना परिव्यय के 30.3 प्रतिशत के परिव्यय की इच्छा रखती है। शिक्षा का आबंटन बढ़ा कर 3,47,338 करोड़ रुपये कर दिया गया है (कुल योजना-परिव्यय का 9.5%)। इसके बाद हैं चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य लगभग 1,75,000 करोड़ रुपये (कुल का 5%) और शहरी विकास 1,54,000 करोड़ रुपये (कुल का 4.2%)

रक्यदक 8 % 11oha ; kstuk ea l kekftd l ok, j

	द्वारा	केंद्र, राज्य	निजी क्षेत्र	कुल	%
1. शिक्षा	2,38,608	1,08,730	3,47,338	9.5	
2. चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,20,879	53,897	1,74,776	6.0	
3. जल-आपूर्ति एवं सफाई	41,825	86,447	1,28,272	3.5	
4. गृह निर्माण	--	26,007	26,007	0.7	
5. शहरी विकास	68,532	85,530	1,54,062	4.2	
6. अन्य सामाजिक सेवाएँ	1,09,020	1,62,852	2,71,872	4.5	
कुल ; केंद्र एवं राज्य ; निजी क्षेत्र ; कुल ; %	21,56,571	14,88,147	36,44,718	100.0	

स्रोत : योजना आयोग (2007),
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

सभी आवास स्थानों को जल-आपूर्ति एवं सफाई उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम तय किया गया है जिस पर 1,28,272 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा।

6- वकैकज l j puk dk fodkl (Infrastructure Development)

तीव्र आर्थिक विकास को प्रोन्नत करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली आधारसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक आवश्यकता है। इसी से पिछड़े क्षेत्रों

में निवेश भी सुनिश्चित हो जाता है। आधारसंरचना जिसमें बिजली, सड़के, रेलवे, हवाई अड्डे, टेलीसंचार, सिंचाई, पीने का पानी, सफाई, गोदाम एवं भण्डारगार शामिल हैं, पर कुल निवेश जो 2006-07 में जी.डी.पी. का 5% था बढ़ा कर 2011-12 में 9% तक ले जाना होगा। चूंकि निजी-सार्वजनिक साझेदारी को प्रोन्नत किया जा रहा है, निजी क्षेत्र का भाग बढ़कर लगभग 25% हो जाएगा। जाहिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र को आधारसंरचना में प्रमुख कार्यभाग निभाना होगा।

रक्यदक 9 % वकैकज l j puk ea fuos k

	जी.डी.पी. का प्रतिशत	
	2006&07	2011&12
सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र एवं राज्य)	4.11 (82.2)	6.78 (75.3)
निजी क्षेत्र	0.89 (17.8)	2.22 (24.7)
कुल	5.00 (100.0)	9.00 (100.0)

स्रोत : योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

i koj & fodkl (Power development)

पावर विकास में दसवीं योजना का निष्पादन निराशाजनक रहा। 41,110 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य की तुलना में केवल 21,080 मेगावाट का जनन (अर्थात् 51%) किया गया जिसमें से 18,000 मेगावाट पूर्णतया क्रियात्मक बनाया जा सका।

ग्यारहवीं योजना में 92,577 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से जल-विद्युत का भाग 16,553 मेगावाट (17.9%), तापीय पावर (Thermal power) का 58,644 मेगावाट (63.3%), न्यूक्लियर पावर (Nuclear power) 3,380 मेगावाट (3.7%), वायु एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा (Wind and Renewable Energy) स्रोतों का 14,000 मेगावाट (15.1%) रखा गया है। जाहिर है पावर-जनन का 11वीं योजना का प्रोग्राम अधिक साहसपूर्ण प्रयास है, यदि सरकार इसे 5 वर्षों की समय-सीमा में कार्यान्वित कर सके।

rkfydk 10 % 11oha ; kst uk ds nkj ku vfrfjDr i kouj tuu
{kerk (2007&12)

	exkokV	çfr' kr
जल विद्युत	16,553	17.9
तापीय	58,644	63.3
न्यैष्टिक	3,380	3.7
वायु एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत	14,000	15.1
dky	92]577	100-0

स्रोत : योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना,
खण्ड III

l puk rdukykth (Information Technology Sector)

11वीं योजना सूचना तकनालाजी क्षेत्र में 60 करोड़ अंशदाताओं का आधार (Subscriber base) लक्ष्य बनाना चाहती है और ग्रामीण टेलीघनत्व (Rural teledensity) को 25% तक ले जाना चाहती है। सूचना तकनालाजी क्षेत्र में 50 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 2012 तक इसमें 180 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रत्याशा है।

i S/ky; e vkj i kNfrd xJ dk mRlkknu

11वीं योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर 2,13,515 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करती है। इससे 20.7 करोड़ टन रुक्ष तेल और 2.66 बी.सी.एम. प्राकृतिक गैस (Natural gas) का उत्पादन होगा।

l Mda

11वीं योजना में एक विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (National Highway Development) प्रोग्राम की कल्पना की गयी है जिस पर 2,27,458 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। राजमार्ग विकास के अतिरिक्त योजना सभी-मौसमी सड़कों (All weather roads) द्वारा सभी आवास-स्थानों को जिन की जनसंख्या 1,000 से अधिक है (पहाड़ी इलाकों में 500 से अधिक) 2009 तक जोड़ना चाहती है।

7- X; kjgoha ; kst uk ea jkst xkj i fji k; (Employment Perspective in the Eleventh Plan)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ठीक ही उल्लेख किया गया है: "समावेशी विकास प्राप्त करने की रणनीति में उत्पादक और लाभकारी रोजगार (Gainfull employment) का जनन, जिसके साथ काम करने की अच्छी दशाएँ हों, पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना होगा ताकि हम बढ़ती हुई श्रमशक्ति को रोजगार-क्षेत्र में समो सकें।"

Hkirdky ds vu#ko dh det ksj ; k;

"हमारे रोजगार निष्पादन की बुनियादी कमी भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार (Quality employment) को कायम करने की विफलता है जिसके द्वारा श्रमशक्ति में नव प्रवेशकों की पर्याप्त मात्रा को समोया जा सके और इसके साथ कृषि क्षेत्र में कार्यरत अतिरिक्त श्रमशक्ति को उच्च मजदूरी वाले गैर-कृषि रोजगार में परिवर्तित करने का मार्ग सुविधाजनक बनाया जा सके।"

ग्यारहवीं योजना में निम्नलिखित मुख्य कमजोरियों का उल्लेख किया है :

- बेरोजगारी की दर जो 1993-94 में 6.1% थी, बढ़कर 1999-00 में 7.3% और फिर और बढ़कर 2004-05 में 8.3% हो गयी।
- कृषि-श्रम-परिवारों (Agricultural labour households) में बेरोजगारी की दर जो 1993-94 में 9.5% थी बढ़कर 2004-05 में 15.3% हो गयी।
- गैर-कृषि रोजगार में 1999-00 से 2004-05 की अवधि के दौरान 4.7% की मजबूत वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि अधिकतर असंगठित क्षेत्र (Unorganised sector) में हुई।
- जी.डी.पी. की काफी उच्च वृद्धि दर के बावजूद, संगठित क्षेत्र में रोजगार में वस्तुतः गिरावट हुई जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित युवकों को निराशा हुई।
- चाहे 2000-05 के दौरान, दिहाड़ीदार मजदूरों (Casual labourers) की वास्तविक मजदूरी में लगातार वृद्धि हुई, परन्तु 1994-2000 की अवधि की तुलना में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम दर से हुई जिसका कारण कृषि का घटिया निष्पादन था।

- 1999-00 से 2004-05 के दौरान, गैर-कृषि रोजगार में वास्तविक मज़दूरी (Real wages) की वृद्धिदर नाममात्र थी।
- श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी संगठित क्षेत्र में या तो अवरुद्ध रही या इसमें गिरावट हुई, चाहे प्रबन्धकीय और तकनीकी स्टाफ (Managerial and technical staff) के वेतन में भारी वृद्धि हुई।
- 1980 के दशक के पश्चात् संगठित क्षेत्र में मज़दूरी का भाग आधा हो गया है जोकि विश्व में निम्नतम है।

दसवीं योजना के दौरान, 5 करोड़ रोजगार अवसर के लक्ष्य के विरुद्ध, 4.7 करोड़ रोजगार अवसर कायम किए जा सके जिससे यह संकेत मिलता है कि रोजगार-लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, 1993-94 से 1999-00 में रोजगार की वृद्धिदर 1.25% से उन्नत होकर 1999-00 से 2004-05 में 2.62% हो गयी। रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि 40 लाख से उन्नत होकर 1999-00 से 2004-05 के दौरान 93 लाख हो गयी।

rkfydk 11 % 1993&94 l s 2004&05 ds nkj ku jkst xkj i fjn' ;

vf[ky Hkkjr	1993&94	1999&00	2004&05	1993&94 l s 1999&00 l s 1999&00 2004&05	
	pkywnfud flFkr jkst xkj			ifr'kr of) nj	
1. जनसंख्या	8,934	10,050	10,928	1.98	1.69
2. श्रमशक्ति	3,342	3,649	4,196	1.47	2.84
3. कार्यकारी श्रमशक्ति	3,139	3,382	3,849	1.25	2.62
4. बेरोजगारों की संख्या (2-3)	203	267	347	4.69	5.40
5- Cj kst xkj h nj (%)	6-1	7-3	8-3		

स्रोत: योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, (2007-2012), खण्ड 1

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के भाग से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार का भाग जो 1993-94 में 61.0% था गिरकर 2004 में 52.1% हो गया। उद्योग का भाग जो 1993-94 में 15.9% था उन्नत होकर 2004-05

में 19.5% हो गया। सेवाओं में सबसे अधिक वृद्धि अनुभव की गयी और उनका भाग जो 1993-94 में 23.1% था बढ़कर 2004-05 में 28.4% हो गया।

rkfydk 12% pkywnfud flFkr vkekj ij jkst xkj ds (ks=ud) kj Hkkx

प्रतिशत

	1993&94	1999&00	2004&05
(d) d'k	61-0	56-6	52-1
1. खनन एवं खदान	0.8	0.7	0.6
2. विनिर्माण	11.1	12.1	12.9
3. बिजली, पानी आदि	0.4	0.3	0.4
4. निर्माण	3.6	4.5	5.6
([k) m ks (1\$2\$3\$4)	15-9	17-6	19-5
5. व्यापार, होटल एवं रेस्तोरां	8.3	11.2	12.6
6. परिवहन, गोदाम एवं संचार	3.2	4.1	4.6
7. वित्त, बीमा, वास्तविक जायदाद और व्यापारिक सेवाएं	1.1	1.4	2.0
8. साम्प्रदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	10.5	9.1	9.2
(x) l ok, a (5\$6\$7\$8)	23-1	25-8	28-4
dy (d\$ [k\$ x)	100-0	100-0	100-0

स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, खण्ड 1

X; kj goha vkj ckj goha ; kst uk ds jkst xkj & i xk i . k

ग्यारहवीं योजना के दिशा-निर्देश पत्र में योजना काल के दौरान श्रमशक्ति में वृद्धि 5.20 करोड़ आँकी गयी। परन्तु श्रमशक्ति की वृद्धि के प्रक्षेपणों (Projections) को जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग के अद्यतन प्रक्षेपणों और ग्यारहवीं योजना के श्रमशक्ति एवं रोजगार पर कार्यदल के प्रक्षेपणों के आधार पर संशोधित किया गया है। श्रमशक्ति में 11वीं योजना के दौरान वृद्धि 4.5 करोड़ आँकी गयी है। चूंकि अवशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 2006-07 में 3.67 करोड़ थी, इसलिए अब कुल 8.2 करोड़ अतिरिक्त रोजगारों की आवश्यकता होगी।

राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं वाटरशैड विकास के माध्यम से निश्चय ही अतिरिक्त रोजगार कायम किया जा सकता था।

	2004&05	2006&07	2011&12	2016&2017
1. जनसंख्या	10928	11281	12080	12832
2. श्रमशक्ति	4196	4389	4836	5240
3. रोजगार अवसर	3849	4022	4603	5182
4. बेरोजगार (2-3)	347	367	233	58
5- रोजगार की दर	8-28	8-36	4-83	1-12

स्रोत: वही जो तालिका 2 के लिए

राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं वाटरशैड विकास के माध्यम से निश्चय ही अतिरिक्त रोजगार कायम किया जा सकता था।

	2004&05 1s	2006&07 1s	2011&12 1s
	2006&07	2011&12	2016&17
	of) nj ifr'kr ifro"kl		
जनसंख्या की वृद्धिदर	1.43	1.37	1.22
श्रमशक्ति की वृद्धिदर	2.02	1.96	1.62
रोजगार की वृद्धिदर	1.98	2.73	2.42
श्रमशक्ति में वृद्धि (लाखों में)	193	447	404
रोजगार अवसरों में वृद्धि (लाखों में)	173	581	579
प्रतिवर्ष रोजगार में वृद्धि (लाखों में)	86	116	116

स्रोत : वही जो तालिका 2 के लिए

दसवीं योजना के दौरान कृषि में 88.4 लाख कायम किए गए रोजगार अवसरों के विरुद्ध, ग्यारहवीं योजना कृषि क्षेत्र में शून्य अतिरिक्त रोजगार की कल्पना करती है। कृषि में शून्य रोजगार की लोच (Employment elasticity) की कल्पना करना जबकि कृषि की वृद्धिदर को 2% से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना में 4% तक ले जाने का लक्ष्य है, अत्यन्त मूर्खता ही प्रतीत होता है। यह और भी दुःखदायी है जब ग्यारहवीं योजना अर्थव्यवस्था के श्रम-प्रधान रोजगार-जनन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करती है। यदि दसवीं योजना में कृषि में 88.4 लाख रोजगार अवसर कायम किए जा सकते थे, तो यह बात समझ में नहीं आती कि ग्यारहवीं योजना में यदि अधिक नहीं, तो कम-से-कम उतने ही रोजगार अवसर तो कायम करने का प्रस्ताव होता, जबकि कृषि की वृद्धिदर को दुगुना करने का संकल्प किया गया है। कृषि की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़,

राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं वाटरशैड विकास के माध्यम से निश्चय ही अतिरिक्त रोजगार कायम किया जा सकता था।

राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं वाटरशैड विकास के माध्यम से निश्चय ही अतिरिक्त रोजगार कायम किया जा सकता था।

अतिरिक्त रोजगार (लाखों में)

	nl oha ; kstuk dh mi yf/k (2000&05)	X; kjgoha ; ktuk ds fy, i ksk .k (2007&12)
कृषि	88.4	0.00
खनन एवं खदान	1.7	0.00
विनिर्माण	86.4	119.4
बिजली, पानी आदि निर्माण	1.8	0.20
व्यापार, होटल एवं रेस्तोरों	64.4	119.2
परिवहन, गोदान एवं संचार	107.0	174.0
वित्त, बीमा, वास्तविक	40.4	90.2
जायदाद एवं व्यापारिक सेवाएं	31.2	34.3
साम्प्रदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	45-9	43-4
कुल	467-2	580-7

स्रोत: योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)

ग्यारहवीं योजना में रोजगार के मुख्य स्रोत व्यापार, होटल एवं रेस्तोरों हैं (174 लाख), विनिर्माण (119.4 लाख), निर्माण (119.2 लाख) और परिवहन, गोदाम एवं संचार (90 लाख)। यदि कृषि में अतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य दसवीं योजना के लक्ष्य के बराबर रखा जाता (अर्थात् 88 लाख), तो ग्यारहवीं योजना में रोजगार-जनन (Employment generation) 650 लाख तक पहुंच जाता जिसकी परिकल्पना दिशानिर्देश पत्र (Approach paper) में की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग कृषि का विकास ठेका खेती (Contract Farming) के माध्यम से करना चाहता है और निगम क्षेत्र को कृषि विकास का मुख्य स्रोत मानता है। यदि ऐसा है, तो यह समावेशी विकास के दर्शन के विरुद्ध है।

ग्यारहवीं योजना में 580 लाख अतिरिक्त रोजगार-जनन के साथ, योजना के अन्त तक अवशिष्ट बेरोजगारों (Backlog of unemployed) की संख्या 230-240 लाख के बीच रह जाएगी। परिणामतः बेरोजगारी की दर

जो 2006-07 में 8.36% थी कम होकर 4.83% हो जाएगी। इसी प्रकार, बारहवीं योजना में 580 लाख अतिरिक्त रोज़गार कायम करने के पश्चात् अवशिष्ट बेरोज़गारों की संख्या केवल 58 लाख रह जाएगी। बेरोज़गारी की दर और गिरकर 1.12% के निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। यदि वास्तविक उपलब्धि प्रक्षेपणों के आधार पर निश्चित समय के अनुसार प्राप्त कर ली जाती है, तो भारत 2016-17 में पूर्ण रोज़गार (Full employment) का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। परन्तु योजना आयोग अपने श्रमशक्ति प्रक्षेपणों और रोज़गारजनन क्षमता के बारे में स्वयं आश्वस्त नहीं है। इसलिए अपने बचाव के लिए, यह उल्लेख करता है:

“इन प्रक्षेपणों के बारे में कुछ सीमाओं को ध्यान में रखना होगा जोकि रोज़गार-लोच के प्रक्षेपण-उपकरण (Projection tool) की सीमाओं से सम्बन्धित हैं। रोज़गार-लोच की अवधारणा एक यांत्रिक उपकरण ही है जिसके अनुसार पिछले रोज़गार और उत्पादन के सम्बन्ध के आधार पर भावी रोज़गार का अनुमान लगाया जाता है। ये सम्बन्ध बदलती हुई तकनालाजी और वास्तविक मज़दूरी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल भी सकते हैं। इसी प्रकार श्रमशक्ति सहभागिता दर (Labour force participation rates) में परिवर्तन हो सकता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा में प्रगति के परिणामस्वरूप स्त्री-सहभागिता दर उन्नत भी हो सकती है। इन सभी कारणों को दृष्टि में रखते हुए बेरोज़गारी-दर में प्रक्षेपित कमी पर बड़ी सावधानी से विचार करना होगा।”

यह अत्यन्त उपयोगी होगा कि यदि सावधानी द्वारा कुछ हद तक मर्यादित आशावाद पर ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देश पत्र (दिसम्बर 2006) की इस टिप्पणी पर विचार किया जाए: “संभरण पक्ष की ओर से श्रमशक्ति में ग्यारहवीं योजना के दौरान 520 लाख की वृद्धि होगी यदि यह कार्यकारी जनसंख्या (Working population) की वर्तमान दर के आधार पर बढ़ती है। यह वृद्धि कहीं अधिक भी हो सकती है, लगभग 650 लाख, यदि स्त्री-सहभागिता अनुपात 1999-2005 के दौरान अनुभव किए गए दर पर बढ़ता जाता है। चूंकि यह वृद्धि 350 लाख अवशिष्ट बेरोज़गारों के अतिरिक्त होगी, और चूंकि समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है कि कृषि से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर परिवर्तन किया जाए, इसलिए हमें ग्यारहवीं योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में कम-से-कम 650 लाख रोज़गार कायम करने की योजना बनानी होगी।”

दिशानिर्देश पत्र का बुनियादी संदेश यह था कि ग्यारहवीं योजना में

1,000 लाख अतिरिक्त रोज़गार अवसरों की आवश्यकता होगी (650 लाख नवप्रवेश और 350 लाख अवशिष्ट बेरोज़गार)। यदि ग्यारहवीं योजना में 650 लाख अतिरिक्त रोज़गार अवसर कायम कर लिए जाते हैं तो 11वीं योजना के अन्त पर उतने ही बेरोज़गार शेष बच जाएंगे (अर्थात् 350 लाख) जितने कि इसके आरम्भ पर विद्यमान थे।

योजना आयोग ने अब श्रमशक्ति में नवप्रवेशकों के अनुमान को 650 लाख से घटा कर 450 लाख कर दिया है अर्थात् 200 लाख की श्रमशक्ति के अनुमान में भारी कटौती। अब जबकि योजना आयोग अतिरिक्त रोज़गार अवसरों की वृद्धि कम करके 580 लाख के सापेक्षतः निम्न स्तर पर रखता है, तब भी यह ग्यारहवीं योजना के अन्त तक अवशिष्ट बेरोज़गारों की संख्या कम करके 230-240 लाख कर देता है और बेरोज़गारी दर जो 2006-07 में 8.36% थी कम करके 2011-12 में 4.83% कर देता है। यह आंकड़ों की जादूगरी नहीं तो और क्या है!!

एक और मुद्दा जिसकी योजना आयोग ने अनदेखी की है : वह कौन सी रणनीति है जिसको अपना कर संगठित क्षेत्र में मज़दूरी के भाग को बढ़ाया जा सकता है जबकि योजना आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि 1980 के दशक के पश्चात् मज़दूरी का भाग आधा हो गया है और यह विश्व में सबसे कम है। इसी प्रकार श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी या तो अवरुद्ध रही है या संगठित उद्योग में भी इसमें गिरावट आई है, चाहे प्रबन्धकीय एवं तकनीकी स्टाफ़ के वेतन में भारी वृद्धि हुई है। जबकि समावेशी विकास का तकाज़ा है कि विकास-प्रक्रिया कम-मज़दूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की दशा उन्नत करे और उन्हें अच्छा रोज़गार उपलब्ध कराए, हम देख रहे हैं कि उद्योग में और सेवाओं में भी विकास-प्रक्रिया केवल प्रबन्धकीय और तकनीकी स्टाफ़ के वेतन में भारी वृद्धि सुरक्षित करती है, और श्रमिकों के हितों के प्रति शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करती है। योजना आयोग द्वारा सरकार द्वारा चालू किए गए सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्यौरा दिया है, परन्तु देश में श्रमशक्ति के भारी आकार के कारण वे केवल सीमान्त सहायता ही उपलब्ध कराएंगे।

वस्तु-स्थिति यह है कि संगठित क्षेत्र के उद्यमों के लाभ तो बदस्तूर बढ़ रहे हैं परन्तु मज़दूरी के भाग में गिरावट हो रही है। योजना आयोग ने अपने दिमाग का प्रयोग इसके लिए नहीं किया कि संगठित क्षेत्र में मज़दूरी के भाग को किस प्रकार बढ़ाया जाए। ऐसा करने में विफलता का अर्थ यह है कि

‘विकास कुछ के लिए’ या ‘असमावेशी विकास’, न कि ‘समावेशी विकास’ जो कि ग्यारहवीं योजना का केन्द्रीय लक्ष्य है। चूंकि समग्र अतिरिक्त रोजगार असंगठित क्षेत्र में कायम किया जाएगा, तो निगम क्षेत्र को विकास का इंजन मानना अर्थहीन है। देश को असंगठित क्षेत्र को मज़बूत करने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा जैसा कि डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय अयोग ने सुझाव दिया है।

इसके अतिरिक्त आयोजक स्वयं मानते हैं, “स्थायी रोजगार (Permanent employment) में कमी हुई है जबकि संगठित क्षेत्र की फर्म अनौपचारिक रोजगार को बढ़ा रही है।” वस्तुस्थिति यह है कि औद्योगिक विवाद कानून के अध्याय 5B में परिवर्तन किए बिना, संगठित क्षेत्र की फर्म अनौपचारिक रोजगार के भाग में वृद्धि करती चली जा रही हैं जो इस तथ्य की मूक स्वीकृति है कि श्रम कानून का पालन करने की अपेक्षा फर्म इनका बेघड़क उल्लंघन कर रही हैं, परन्तु योजना आयोग यह सिफारिश करते हुए थकता नहीं कि रोजगार को बढ़ावा देने और इसे उन्नत करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन होना चाहिए। परन्तु जो तथ्य हमारे सामने हैं, वे यह संकेत करते हैं कि श्रम-बाहुल्य अर्थव्यवस्था (Labour surplus economy) में, ठेका श्रम या आकस्मिक रोजगार का प्रयोग करने की प्रवृत्ति का उद्देश्य मज़दूरी के भाग में कटौती करके मूल्य-वृद्धि में लाभ को बढ़ाना होता है। यही तो पिछले दशक में हुआ है। समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में स्थायी रोजगार में वृद्धि हो और मज़दूरी का भाग उन्नत हो, परन्तु जो हम देख रहे हैं और जिसे सशक्त बनाया जा रहा है, वह एकदम इसके उलट है।

8- xjhch de djuk (Poverty Reduction)

2004-05 में, गरीबों का अनुपात 27.5% था— 28.3% ग्रामीण क्षेत्रों में और 25.7% शहरी क्षेत्रों में। 2004-05 में कुल गरीबों की संख्या 30.17 करोड़ थी जो 1973-74 में 32.13 करोड़ से 1.96 करोड़ कम थी। 31 वर्षों में गरीबों में गरीबों की संख्या में केवल 2 करोड़ की कमी सराहनीय उपलब्धि नहीं कही जा सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 साल बाद, चौथाई से अधिक जनसंख्या गरीब है।

योजना आयोग ने और उल्लेख किया : “आज इस बात पर सहमत बढ़ता जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा (2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र के लिए 458 रुपये) बहुत ही नीची है और यह केवल उपभोग के आधार पर बनी रही है। यदि गरीबी रेखा ऊंची होती, तो गरीबी रेखा (Poverty Line) के नीचे रहने वाली जनसंख्या भी तदनु रूप अधिक होती।”

गरीबी रेखाओं पर फनर्विचार करने और इनका संशोधन करने के लिए, योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ कार्यदल गठित किया है जिसकी सिफारिशों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह ऐसी सिफारिशें करेगा जिनके आधार पर गरीबी में कमी और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के स्वीकार करने योग्य प्रमाण निर्धारित किए जा सकेंगे।

चूंकि गरीबी एक बहु-आयामी (Multi-dimensional) समस्या है, इसके समाधान के लिए भी बहु-आयामी रणनीति अपनानी पड़ेगी।

सर्वप्रथम, जिन क्षेत्रों में गरीबों की संख्या अधिक है, इनमें जनजातीय वन क्षेत्र और वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र हैं। इन इलाकों में गरीबी को कम करने के लिए वाटरशेड विकास (Watershed development) को महत्वपूर्ण उपकरण बनाना होगा।

दूसरे गरीब कुछ ऐसे राज्यों एवं क्षेत्रों में संकेन्द्रित हैं जहां भूमि-व्यक्ति अनुपात (Landman ratio) निम्नतम है। इन क्षेत्रों में प्रभावी भू-सुधार करने होंगे और कृषि सेवाओं को उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

तीसरे, आकस्मिक श्रमिकों (Casual labourers) पर निर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है। इन श्रमिकों को नीची मज़दूरी प्राप्त होती है और वे पूरे वर्ष के दौरान रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इनमें से अधिकतर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से हैं। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी प्रोग्राम जैसा कार्यक्रम इन्हें बेहतर मज़दूरी उपलब्ध करा सकता है और इस वर्ग के लोगों के काम के दिनों को बढ़ा सकता है।

चौथे, गरीबों को अपनी आय के बढ़ाने के योग्य बनाने के लिए उन्हें कृषि की अपेक्षा गैर-फार्म क्रियाओं की ओर परिवर्तित करना होगा ताकि उन्हें सहायक आय (Subsidiary income) प्राप्त हो सके।

पांचवे, गरीबों में शिक्षा और कौशल विकास प्रोन्नत करना होगा ताकि वे उभरते हुए क्षेत्रों जैसे सूचना तकनालाजी, और अन्य व्यवसायों जहां बेहतर कौशल की आवश्यकता है, रोजगार प्राप्त कर सकें।

अन्तिम परन्तु कम महत्वपूर्ण नहीं, उत्पादन का ढांचा, विशेषकर गैर-कृषि व्यवसायों में रोजगार-जनन प्रेरित बनाना होगा। दूसरे शब्दों में, ग्यारहवीं योजना तीन टाँगों वाली रणनीति की सिफारिश करती है – आर्थिक वृद्धि, आय-आधारित गरीबी (Income-poverty reduction) को कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी प्रोग्राम को बढ़ावा देना, और मानवीय पूंजी निर्माण (Human capital formation) के लिए शिक्षा और कौशल विकास को प्रोन्नत करना।

ग्यारहवीं योजना में एक सामान्य कथन किया गया है कि यह गरीबी को 10 प्रतिशत अंकों से कम करना चाहती है जिसका अर्थ है इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना। परन्तु चूंकि इसने गरीबी रेखा के संशोधन की प्रक्रिया चालू कर दी है, इसे नये मानदण्ड और नयी जानकारियों के आधार अपने गरीबी कम करने के समग्र प्रोग्राम को संशोधित करना होगा।

9- of) &njka ea {ks=h; vl ekurk (Regional disparities in growth rates)

10वीं योजना के दौरान, जी.डी.पी. की औसत वृद्धि दर 7.6% रही। जिन राज्यों ने इससे बेहतर निष्पादन किया, वे हैं : झारखण्ड, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, उत्तरांचल, नागालैंड और त्रिपुरा। जो राज्य 6% जी.डी.पी. वृद्धिदर से कम निष्पादन कर पाए हैं, इन पीछे रह जाने वाले राज्यों में हैं – बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर। अन्य राज्य 6% से 7.6% के बीच वृद्धिदर को दर्शाते हैं—कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु एवं असम।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि पीछे रहने वाले राज्यों (6% जी.डी.पी. से कम) की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 45% थी। अतः इन राज्यों में जी.डी.पी. की वृद्धि दर को उन्नत करने के प्रयास करने होंगे ताकि वे 7-8% की कम-से-कम वृद्धि दर प्राप्त कर सकें।

ग्यारहवीं योजना ने राज्य सरकारों से परामर्श करके जी.डी.पी. की वृद्धिदर के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां अखिल-भारत के लिए 11वीं योजना के दौरान 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया है, वहां बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब 7.5% की जी.डी.पी. की वृद्धिदर के स्तर के नीचे रहेंगे। आयोजन

प्रक्रिया को पिछड़े गए राज्यों में विकास को त्वरित करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के कई राज्यों अर्थात् मेघालय, मिज़ोरम, असम एवं सिक्किम ने भी नीची वृद्धि दरों का संकेत दिया है। आयोजन प्रक्रिया इन्हें एक विशेष पैकेज द्वारा सहायता कर रही है, जो ग्यारहवीं योजना में भी जारी रहेगा।

rkfydk %X; kjgoha ; kst uk ds jkT; okn of) ds y{;

	10oha ; kst uk	11oha ; kst uk
	ea mi yfçek	dk y{;
झारखण्ड	11.1	9.8
गुजरात	10.6	11.2
छत्तीसगढ़	9.2	8.6
उड़ीसा	9.1	8.8
महाराष्ट्र	7.9	9.1
गोवा	7.8	12.1
हरयाणा	7.6	11.0
vf[ky Hkkj r	7.6	9.0
केरल	7.2	9.5
कर्नाटक	7.0	11.2
आंध्र प्रदेश	6.7	9.5
तमिल नाडु	6.6	8.5
पश्चिम बंगाल	6.1	9.1
राजस्थान	5.0	7.4
बिहार	4.7	7.6
उत्तर प्रदेश	4.6	6.1
पंजाब	4.5	5.9
मध्य प्रदेश	4.3	6.7
fo' k'sk Js kh ds jkT;		
मणिपुर	11.6	5.9
उत्तरांचल	8.8	9.7
त्रिपुरा	8.7	6.9
नागालैंड	8.3	9.3

सिक्किम	7.7	6.7
हिमाचल प्रदेश	7.3	9.5
असम	6.1	6.5
मिज़ोरम	5.9	7.1
अरुणाचल प्रदेश	5.8	6.4
मेघालय	5.6	7.3
जम्मू तथा कश्मीर	5.2	6.4

नोट: राज्यों को 10वीं योजना में प्राप्त जी.डी.पी. की वृद्धिदर के अनुसार घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है।

स्रोत: योजना आयोग (2007), ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012), खण्ड-1

10- X; kjgoha ; kst uk dh | eh{kk

ग्यारहवीं योजना में अपने उद्देश्य के तौर पर 'तीव्र और अधिक समावेशी विकास' (Towards Faster and More Inclusive Growth) की कल्पना की गयी है। यह एक अभिनन्दनीय परिवर्तन है जो कि 1991 में आरम्भ किए गए आर्थिक सुधारों के बाद किया जा रहा है। यह बात महसूस की गयी है कि सुधार प्रक्रिया ने समृद्धों एवं गरीबों के बीच खाई को बढ़ा दिया है और 1993-94 और 2004-05 के दौरान गरीबी में कमी की दर मन्द हो कर 0.74 प्रतिशत प्रति वर्ष के मर्यादित स्तर पर आ गयी है। इसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है जो 1993-94 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 1999-00 में 7.32 प्रतिशत हो गयी और फिर और बढ़कर 2004-05 में 8.3 प्रतिशत हो गयी। इसके अतिरिक्त, इसने ग्राम-नगर विभाजन (Rural urban divide) को और व्यापक बना दिया है और तीव्र प्रगति करने वाले अगड़े राज्यों और मन्द प्रगति करने वाले पिछड़े राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं (Regional disparities) बढ़ा दी हैं। सुधार-प्रक्रिया द्वारा जनित असमान विकास के परिणामस्वरूप भारतीय समाज की राजनैतिक बुनियाद हिल गयी है और इसलिए इसमें मार्ग-परिवर्तन की आवश्यकता बल पकड़ती जा रही है। यदि संग्रह सरकार ऐसा नहीं करती, तो इसके सामने एक गंभीर खतरा अपने बाजू फ़ैलाए हुए है क्योंकि यह सरकार आम आदमी की दशा

उन्नत करने के नारे के आधार पर विजय प्राप्त कर पायी थी।

प्रश्न उठता है कि क्या ग्यारहवीं योजना में उन चिन्ताओं की ओर ध्यान देने की सोच विद्यमान है जिनका उपचार करने का निर्णय इसमें लिया गया?

ग्यारहवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर को बढ़ा कर 9 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी प्राप्ति के लिए कृषि की वृद्धि दर को जो दसवीं योजना के दौरान 2.1 प्रतिशत थी बढ़ाकर लगभग 4 प्रतिशत करना होगा और उद्योगों की वृद्धि दर को 9-11 प्रतिशत करना होगा। यह बात याद रखने योग्य है कि दसवीं योजना के दौरान उद्योगों की वृद्धि दर 8 प्रतिशत और सेवाओं की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का संकेत मिलता है। जाहिर है कि 11वीं योजना में उद्योगों एवं सेवाओं की वृद्धिदर तो सीमान्त रूप में ही उन्नत की जाएगी परन्तु यह कृषि की वृद्धिदर को दुगुना करना चाहती है ताकि 9.0 प्रतिशत की समग्र वृद्धिदर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसका अभिप्राय यह कि 11वीं योजना की सफलता कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर निर्भर करेगी, विशेषकर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कृषि अभी भी हमारी जनसंख्या के 58 प्रतिशत को आजीविका उपलब्ध कराती है। इस हद तक यह रणनीति यह संकेत देती है कि समावेशी विकास की अवधारणा 11वीं योजना के ढांचे का अंग है।

xjhch ea deh &cfu; knh eqk

परन्तु समावेशी विकास तभी वास्तविक रूप धारण कर सकता है यदि गरीबी में तीव्र कमी होने के साथ-साथ 11वीं योजना के दौरान बेराज़गारी में भी तीव्र कमी व्यक्त हो।

गरीबी में कमी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए ग्यारहवीं योजना ने उल्लेख किया : "हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए औसत भारतीय की वास्तविक आय दस वर्षों से कम समय में दुगुनी करनी होगी और इसी अवधि के दौरान गरीबी को 10 प्रतिशत से कम करने का वायदा करना होगा।"

इस सम्बन्ध में मोहन गुरुस्वामी ने गरीबी रेखा की परिभाषा के बारे में एक और सवाल उठाया है। "जबकि भूख की परिभाषा कैलारियों के रूप में स्थिर रह सकती है, गरीबी की परिभाषा सामान्य समृद्धि के वर्तमान स्तर के संदर्भ में सापेक्ष है। वर्तमान औपचारिक परिभाषा केवल कैलारी-उपभोग (Calorie intake) पर आधारित है और इसमें और कुछ भी शामिल नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति की शारीरिक भूख के सिवाय और कुछ भी नहीं। यह कहीं उचित है कि इसे 'भुखमरी रेखा' (Starvation line) के रूप में की गयी

परिभाषा समझा जाए और यह ठीक वही है।” अतः योजना आयोग केवल “भुखमरी रेखा” को 2017 तक 10 प्रतिशत तक कम करना चाहता है। एक बुनियादी न्यूनतम (Basic minimum) उपलब्ध कराने के लिए गरीबी रेखा को बुनियादी आवश्यकताओं की दृष्टि से परिभाषित करना होगा। जबकि भारत 2020 तक एक आर्थिक महाशक्ति (Economic superpower) का लक्ष्य रखे हुए है, परन्तु यह उस समय तक केवल भुखमरी को ही दूर कर पाएगा। अतः भारत को अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा अर्थात् 2 डालर प्रतिदिन को आधार बना कर गरीबी के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत निर्धारित करना होगा। मानवीय विकास रिपोर्ट (2007/2008) के अनुसार, 1 डालर प्रतिदिन के आधार पर 1990-2005 में कुल जनसंख्या का 34.3 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे था और यदि 2 डालर प्रतिदिन के मानदण्ड का प्रयोग किया जाए, तब भारत की 80.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के नीचे थी। वर्तमान गरीबी रेखा जो कैलारी-उपभोग पर आधारित है, 1 डालर प्रतिदिन के न्यूनतम मानदण्ड पर भी नहीं पहुंचती, बुनियादी आवश्यकता (Basic needs) आधार पर अर्थात् 2 डालर प्रतिदिन पर पहुंचने की बात तो दूर रही। अतः योजना आयोग को गरीबी रेखा में संशोधन कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए जैसा कि वह विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि-उत्पादिता पर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसे इस झूठे भ्रम पर संतोष नहीं करना चाहिए कि इसने प्रभावी रूप में गरीबी कम कर दी है। यह बात बड़ी उत्साहवर्धक है कि योजना आयोग ने गरीबी रेखा की परिभाषा को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यदल नियुक्त किया है।

संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण

योजना आयोग ने श्रमशक्ति में नव-प्रवेशकों की संख्या 450 लाख आंकी है जबकि यह दिशानिर्देश पत्र में 650 लाख आंकी गयी थी। यदि इसमें 350 लाख अवशिष्ट बेरोज़गार जोड़ दिए जाएं, तो ग्यारहवीं योजना में 800 लाख कुल रोज़गार अवसरों की आवश्यकता होगी। 580 लाख अतिरिक्त रोज़गार अवसर कायम करने का लक्ष्य रखकर, बेरोज़गारी की दर जो 2006-07 में 8.36% थी, 2011-12 में 4.83% हो जाएगी। योजना आयोग एवं श्रमशक्ति में नव-प्रवेशकों के 450 लाख के प्रक्षेपन (Projection) के बारे में आश्वस्त नहीं है और आलोचना से बचने के लिए इसने कई मान्यताएं की हैं जो उचित प्रतीत नहीं होतीं। पांच वर्षों की अवधि के दौरान बेरोज़गारी दर इतनी तेज़ी से कम करने की कोशिश आंकड़ों की जादूगरी की अपेक्षा कुछ भी नहीं है।

श्रम लचीलता (Labour Flexibility) का अर्थ

यदि हम समावेशी विकास के प्रति सम्मान को छोड़ दें तो ग्यारहवीं योजना डा. आहलूवालिया के कार्य-दल की रिपोर्ट का नया अवतार है, ग्यारहवीं योजना में उल्लेख किया गया है: “इस बात पर बल देना होगा कि श्रम लोचशीलता का अर्थ नौकरी पर “लगाना और हटाना” ही नहीं। श्रम कानूनों के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनमें अधिक लोचशीलता की जरूरत है और यह समग्र श्रम वर्ग के हित में होगा क्योंकि इससे संगठित क्षेत्र में नियोजकों को रोज़गार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वास्तव में इससे भारी मात्रा में रोज़गार-जनन होगा। इस लोचशीलता की विशेष आवश्यकता है यदि हम निर्यात बाज़ारों के द्वारा प्रस्तुत भारी अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। हमें श्रम-कानून के सुधार के क्षेत्र पर सहमत प्राप्त करना चाहिए जिसमें विशेष कर औद्योगिक विवाद कानून (Industrial Disputes Act) और ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) (Contract Labour – Regulation and Abolition – Act) भी शामिल होने चाहिए।” इस वक्तव्य में योजना आयोग के गुप्त एजेन्डा को एक शब्दावली के आडम्बर में छिपाया गया है। इसका कारण संगठित क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में किए जानेवाले प्रस्तावों से स्पष्ट हो जाता है। टैक्सटाइल उद्योग मंत्री चाहते हैं कि (1) कम के घण्टे 48 से बढ़ाकर 60 प्रति सप्ताह कर दिए जाएं, (2) स्त्रियों को रात्रि-शिफ्ट में कम करने की अनुमति दी जाए, (3) ठेका श्रम की इजाजत दी जाए और श्रम को नौकरी से हटाने के मानदण्ड (Norms) आसान करने चाहिए और (4) निर्यात उद्योग को औद्योगिक विवाद कानून के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता (Public utility) का दर्जा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्री चाहते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) को श्रम-कानूनों से छूट दी जाए। जाहिर है कि वह दिशा जिसकी ओर संग्रग सरकार श्रम-कानूनों को धकेलना चाहती है, इससे एकदम स्पष्ट हो जाती है चाहे यह कितने ही नरम शब्दों में ग्यारहवीं योजना में उसे छिपाना चाहे।

योजना आयोग ने समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि उत्पादिता में तीव्र वृद्धि के बावजूद, श्रम की वास्तविक मज़दूरी में गिरावट आयी है अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (ILO) की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है : *Labour and Social Trends in Asia and the Pacific* (2006) में यह कठोर सत्य प्रस्तुत किया है कि 1990 और

2002 के बीच, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में 22 प्रतिशत की गिरावट हुई, जबकि इस क्षेत्र की इस अवधि के दौरान उत्पादित में 84% की वृद्धि हुई। ज़हिर है कि आर्थिक सुधारों के लाभ निगम क्षेत्र द्वारा हथियाए जा रहे हैं जबकि श्रम को उचित मजदूरी प्राप्त नहीं होती। व्यंग्यात्मक बात यह है कि प्रबन्धकीय और तकनीक स्टाफ के वेतन में 15% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है। योजना आयोग के समावेशी विकास की रणनीति ऐसे उपायों का सुझाव देने में विफल हुई जिनके द्वारा तीव्र आर्थिक विकास द्वारा जनित अतिरेक में उन्नति से श्रम के भाग में वृद्धि हो। आलोचकों को 11वीं योजना के साम्यता उद्देश्य (Equity objective) की प्राप्ति के बारे में भारी आशंका है। मजदूरी के निर्धारण को बाज़ार शक्तियों पर छोड़ देने और श्रम कानून द्वारा थोड़ा-बहुत संरक्षण समाप्त कर देने से संगठित क्षेत्र के बड़े व्यापारिक घरानों एवं उद्योगपतियों को श्रम के शोषण की बेरोकटोक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। परिणामतः श्रम के हितों का हनन जारी रहेगा।

नियंत्रण के फलदायी उपाय

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो 11वीं योजना की सफलता से सम्बन्धित है, वह कृषि की वृद्धिदर को त्वरित कर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के स्तर पर लाना है, जबकि इसकी वर्तमान वृद्धिदर 2.1 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में बहुत से उपाय सुझाए गए हैं जैसे किसानों को उनकी फसल पर लाभकर कीमत (Remunerative price) उपलब्ध कराना, विशेष फसल की उत्पादित की अपेक्षा फार्म-आय सुरक्षा (Farm income security) पर बल देना और इसके लिए कृषि का विविधीकरण करना, सिंचाई, वाटरशैड विकास, ग्रामीण बिजलीकरण, ग्रामीण आधारसंरचना (Rural Infrastructure) आदि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, किसानों की उधार के लिए पहुंच को उन्नत करना, ताकि उनको महाजनों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके जो ब्याज की बहुत ऊंची दर वसूल करते हैं। इस समस्या का समाधान सहकारी ण प्रणाली को फनः सशक्त करने के रूप में सोचा गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस. मुल्लाई नाथन इस सम्बन्ध से साफ शब्दों में उल्लेख करते हैं: “उधार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका ग्राम जनसंख्या को अभाव हैकृ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (Priority sector lending) के रूप में उधार देने के बावजूद, किसान स्थानीय महाजनों से ऊंची दरों पर उधार लेते हैं।” (factually ykbu] 12

सितम्बर 2006)। इसके लिए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और इच्छुक निजी क्षेत्र के बैंकों को मजबूर करना होगा कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सबसे अधिक महत्त्व दें। इसके लिए किसानों की पहुंच को बढ़ाने हेतु और शाखाएं खोलनी होंगी जो कि एकदम करना चाहिए। इस समस्या के फौरी स्वभाव पर बल देते हुए प्रोफेसर मुल्लाई नाथन का कहना है: “बैंकों और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को गहरा आत्म-निरीक्षण करना होगा कि जनसंख्या के इस भाग को वित्तीय क्षेत्र क्यों पोषित नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया के परिणाम पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होगा। परन्तु हम इसे किस प्रकार करें? यदि महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी सही दशा में आगे बढ़ें, तब हम ग्रामीण भारत में भारी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और गैर-सरकारी बैंक जैसे आई.सी.आई.सी.आई बैंक इस समस्या को स्वीकार कर लेते हैं, तो मुख्य मुद्दा इस पर फौरी कार्रवाई करने का रह जाता है।” ग्यारहवीं योजना में इस ‘फौरी कार्रवाई’ का अभाव है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिखाए गए पक्के इरादे की जरूरत है जिससे प्राथमिकता प्राप्त उधार की उपलब्धि को त्वरित किया जा सके और इससे जनता की एक भारी संख्या जो मुख्यतः कमजोर वर्गों से है, को लाभ पहुंचाया जा सके।

वित्तपोषण के अभाव में उधार

ग्यारहवीं योजना चालू खाते के घाटे (Current account deficit) को देशीय बचत के साथ विदेशी बचत की अधिक मात्रा प्राप्त करने का साधन बनाना चाहता है। दिशानिर्देशपत्र में उल्लेख किया है कि निवेश का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई अधिक बचत का अधिक चालू खाते में घाटे से सम्मिश्रण करना होगा ताकि विदेशी बचत की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सके।

चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ाने की भी सीमाएं हैं परन्तु यह उचित प्रतीत होता है कि चालू खाते के घाटे को जी. डी.पी. के 1.3% से 3% तक बढ़ने की इजाज़त दी जाए यदि इसका वित्तपोषण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) और दीर्घकालीन उधार से किया जाता है, न कि अल्पकालीन उधार और पोर्टफोलियो निवेश द्वारा।

rkfydk %fon's kh fuos' k ds vllri bkg

अरब यू.एस. डालर

	2004&05	2005&06	2006&07
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	6.05 (39.3)	8.96 (41.8)	22.08 (75.9)
पोर्टफोलियो निवेश	9.32 (60.7)	12.49 (58.2)	7.00 (24.1)
कुल	15.37 (100.0)	21.45 (100.0)	29.08 (100.0)

स्रोत: *fj to l cfd vkiD bfm; k cmyfVu* (जनवरी 2008)

इस सम्बन्ध में ज़मीनी हकीकत का परीक्षण करना होगा। कुल विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) 2004-05 में 6.05 अरब डालर था (39.3%)। यह भाग धीरे-धीरे बढ़ रहा है और वस्तुतः यह बहुत अच्छा है कि 2006-07 में 29 अरब डालर के कुल विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भाग 22 अरब डालर था अर्थात् लगभग 76%। पोर्टफोलियो निवेश (Portfolio investment) का भाग गिर गया है, यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है क्योंकि यह अपने स्वभाव से बहुत चंचल होता है।

एक और बात जिसकी ओर ध्यान देना अनिवार्य है, वह यह है कि सारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नये निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होता, बल्कि इसका काफी बड़ा भाग भारतीय कम्पनियों के अधिग्रहण (Acquisition) के लिए इस्तेमाल होता है और केवल थोड़ा सा भाग तकनालाजीय उन्नयन (Technological upgradation) के लिए उपलब्ध होता है।

ऊपर किए गए विश्लेषण का सार यह है कि चालू खाते पर घाटा बढ़ाने की नीति पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। देश को सकारात्मक व्यापार-शेष की नीति अपनानी होगी या इतने व्यापार घाटे को कायम करने की इजाज़त देनी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अदृश्य मदों के अतिरेक से की जा सके। परन्तु निर्यात क्षेत्र में हमारी सफलता से अतिप्रोत्साहित होकर, हम आयात-क्षेत्र पर ब्रेक लगाने से कतराते रहे हैं और चेतावनी संकेतकों की अनेदखी करते रहे हैं। पिछले चार पांच वर्षों के दौरान परिस्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारा व्यापार घाटा जो 2003-04 के दौरान 10.69 अरब डालर था बढ़ कर 2006-07 में 63.17 अरब डालर हो गया अर्थात् इसमें तीन वर्षों के दौरान लगभग 6 गुना वृद्धि हुई। इसमें सन्देह

नहीं कि अदृश्य मदों (Invisibles) में 2003-04 में भारी अतिरेक ने जो 17.04 अरब डालर था, न केवल व्यापार-घाटे की क्षतिपूर्ति की बल्कि 6.34 अरब डालर का चालू खाते में अतिरेक कायम कर दिया और इस प्रकार चालू खाता 2003-04 में 6.34 अरब डालर अनुकूल हो गया परन्तु यह परिस्थिति 2004-05 में पलट गयी और फिर 2006-07 में व्यापार घाटा 63.2 अरब डालर के उच्च स्तर पर पहुंच गया और परिणामतः चालू खाते का घाटा 9.76 अरब डालर हो गया। इस घोर वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना उचित हो गया कि चीन जिसका उदाहरण आम तौर पर बहुत सी नीतियों को अपनाने के लिए दिया जाता है, ने 1997 में ही व्यापार-शेष में अतिरेक प्राप्त कर लिया था और यह परिस्थिति बदस्तूर बनी हुई है। ज़ाहिर है कि ग्यारहवीं योजना ने इस चेतावनी के संकेतकों की परवाह नहीं की।

foUkh; <kpk vokLrfod

दसवीं योजना के वित्तीय ढांचे से पता चलता है कि जहां चालू राजस्व में 1.3% अतिरेक की प्रत्याशा थी, वहां निष्पादन से यह संकेत मिला कि इसमें 9.6% का नकारात्मक अधिशेष उत्पन्न हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र से 37.6% की प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति 34.9% थी जोकि बहुत सराहनीय है। विदेशों से अन्तर्प्रवाह तो नाममात्र था – कुल वित्तीय संसाधनों का 1%। इस परिस्थिति में, वित्त प्रबन्ध के लिए बाज़ार उधार (Market borrowing) का लगभग 74 प्रतिशत तक प्रयोग किया गया। इस प्रकार चालू राजस्व अधिशेष की प्राप्ति में विफलता और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरेक में थोड़ी कमी के परिणामस्वरूप, दसवीं योजना का लगभग तीन-चौथाई भाग बाज़ार उधार से जुटाया गया। बाज़ार उधार की भारी मात्रा का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप सरकार के ब्याज एवं मूलधन वापिस करने के दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाते हैं।

परन्तु ग्यारहवीं योजना के वित्तीय ढांचे का अनुमान तैयार करते हुए यह तय किया गया कि 28.5% साधन चालू राजस्व में अतिरेक से और 32.6% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अतिरेक से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 39% वित्तीय संसाधन बाज़ार उधार से प्राप्त किए जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग ने चालू राजस्व से अतिरेक का अत्युमान लगाया है। इसने अप्रैल 2008 में आने वाली छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के होने वाले प्रभाव को ध्यान नहीं रखा है। इसने तेल की उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव

को भी दृष्टि में नहीं रखा है। इस बात की बड़ी संभावना है कि नौवीं और दसवीं योजना की भांति, इसका परिकल्पित वित्तीय ढांचा भी बहुत अवास्तविक है और ऐसा संभव है कि ग्यारहवीं योजना को भी भारी मात्रा में बाजार उधार पर निर्भर होना पड़ जाए।

fu"d"kl

ग्यारहवीं योजना में 'अधिक तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास' का लक्ष्य तो सही दिशा में कदम है परन्तु यह एक श्रम-विरोधी रास्ता अपनाना चाहती है जो केवल निगम क्षेत्र के पक्ष में है। यह आम आदमी के लिए सुरक्षित आय एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के प्रतिकूल है।

इसको प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका छोटे तथा मध्यम उद्यमों एवं छोटे किसान की खेती को प्रोन्नत करना है। यह छोटे किसान की खेती से कन्नी काट लेती है और ठेका खेती की वकालत करती है जो कि श्रम-प्रधान (Labour intensive) होने की अपेक्षा पूंजी-प्रधान (Capital intensive) है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों — फसलों के नुकसान के द्वारा प्रभावित किसानों के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष की भांति एक कोष की स्थापना करना, किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर कम करके 4% पर लाना, और इस पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल न करना और कृषि उत्पादों के आयात पर परिमाणात्मक सीमाबन्धन (Quantitative restrictions) लगाना — ग्यारहवीं योजना में शामिल नहीं की गयीं।

योजना आयोग द्वारा 580 लाख रोजगार अवसर कायम करने का लक्ष्य अपर्याप्त है और यह कहीं बेहतर होता यदि योजना आयोग अपने दिशा-निर्देश पत्र में सुझाए गए 650 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर कायम करने के लक्ष्य पर दृढ़ रहता।

गरीबी को दूर करने के लिए गरीबों की ओर ध्यान केन्द्रित करना बहुत ज़रूरी है। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में बहुत सी योजनाओं की लम्बी सूची दी है जैसे राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना, गरीबों के लिए मकान और कौशल विकास प्रोग्राम। इनके कार्यान्वयन की प्रभाविता से यह पता चलेगा कि ये किस हद तक इच्छित लाभप्राप्तकर्ताओं की सहायता कर पायी हैं।

योजना आयोग कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है जैसे खाद्य सुरक्षा, कीमत

आलम्बन प्रणाली को मज़बूत करना, कृषि के सब्सिडी प्राप्त आयातों के विरुद्ध किसानों का संरक्षण, फसल बीमा का सर्वव्यापीकरण (Universalisation) और भू-सुधार।

ग्यारहवीं योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है जो दसवीं योजना के लिए संसाधनों पर 125% वृद्धि की कल्पना करती है। इसके द्वारा लगभग 30 प्रतिशत संसाधन सामाजिक सेवाओं पर व्यय कर इसकी गुणवत्ता को उन्नत करने का लक्ष्य श्रेय का पात्र है। यह संभव है देश जी. डी.पी. की 9% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर ले किन्तु इसकी सफलता उस सीमा से परखी जाएगी जिस हद तक यह गरीब-पक्षीय विकास (Pro-poor growth) को बढ़ावा दे पाएगी और ग्रामीण एवं शहरी विभाजन और अमीर-गरीब के विभाजन को कम कर सकेगी।

